शीर्ष प्राथमिकता

संख्या- 29/2018/ 1437 /38-4-18-123(विविध)/2017 टी.सी.-1

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊ : दिनांक 30 नवम्बर, 2018**

विषय मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत भूमिहीन पात्र लाभार्थियों को आवास निर्माण हेतु भूमि/आवासीय पट्टा आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत ही हैं कि मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण प्रदेश सरकार की एक अति महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा के कारण छतविहीन एवं आश्रयविहीन हो जाने वाले पात्र परिवारों, कालाजार से प्रभावित आवास विहीन या कच्चे/जर्जर आवासों में निवासरत पात्र परिवारों, वनटांगिया एवं मुसहर वर्ग के (जिलाधिकारी द्वारा प्रमाणित) आवासविहीन या कच्चे/जर्जर आवासों में निवासरत पात्र परिवारों, JAPANESE ENCEPHALITIS(जे0ई0)/ए0ई0एस0 से प्रभावित कच्चे/जर्जर आवासों में निवासरत पात्र परिवारों तथा उक्त के अतिरिक्त ऐसे सभी पात्र परिवारों, जो सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना-2011 पर आधारित प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की पात्रता सूची में समाहित नहीं है और वर्तमान में आवास विहीन हैं/एक या दो कमरे के कच्ची दीवार या कच्ची छतयुक्त मकानों में निवास कर रहे हैं, को इस योजना के अन्तर्गत आवास उपलब्ध कराने का प्राविधान है। शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय जनपदों में ऐसे आवासहीन लाभार्थी चिन्हित हैं, जो मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की पात्रता में आते हैं किन्तु उनके पास आवास निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है। स्वाभाविक रूप से ऐसे परिवार जो आवासहीन भी हो और भूमिहीन भी हों, वह आवासीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता में आते हैं।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत चिन्हित भूमिहीन पात्र लाभार्थी परिवारों को राजस्व विभाग एवं ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय करते हुए तत्काल आवास हेतु भूमि/आवासीय पट्टा उपलब्ध कराने की कार्यवाही कराने तथा इसकी सूचना प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि आवासहीन परिवारों को प्राथमिकता पर आवासीय सुविधा का लाभ दिया जा सके।

भवदीय,
अनूप चन्द्र पाण्डेय
मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 29/2018/1437(1)/38-4-2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

अनुराग श्रीवास्तव

प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।